सुरक्षित शहर – एक पहल

Madhya Pradesh Urban Infrastructure Investment Program

Government of MP and DFID partnership

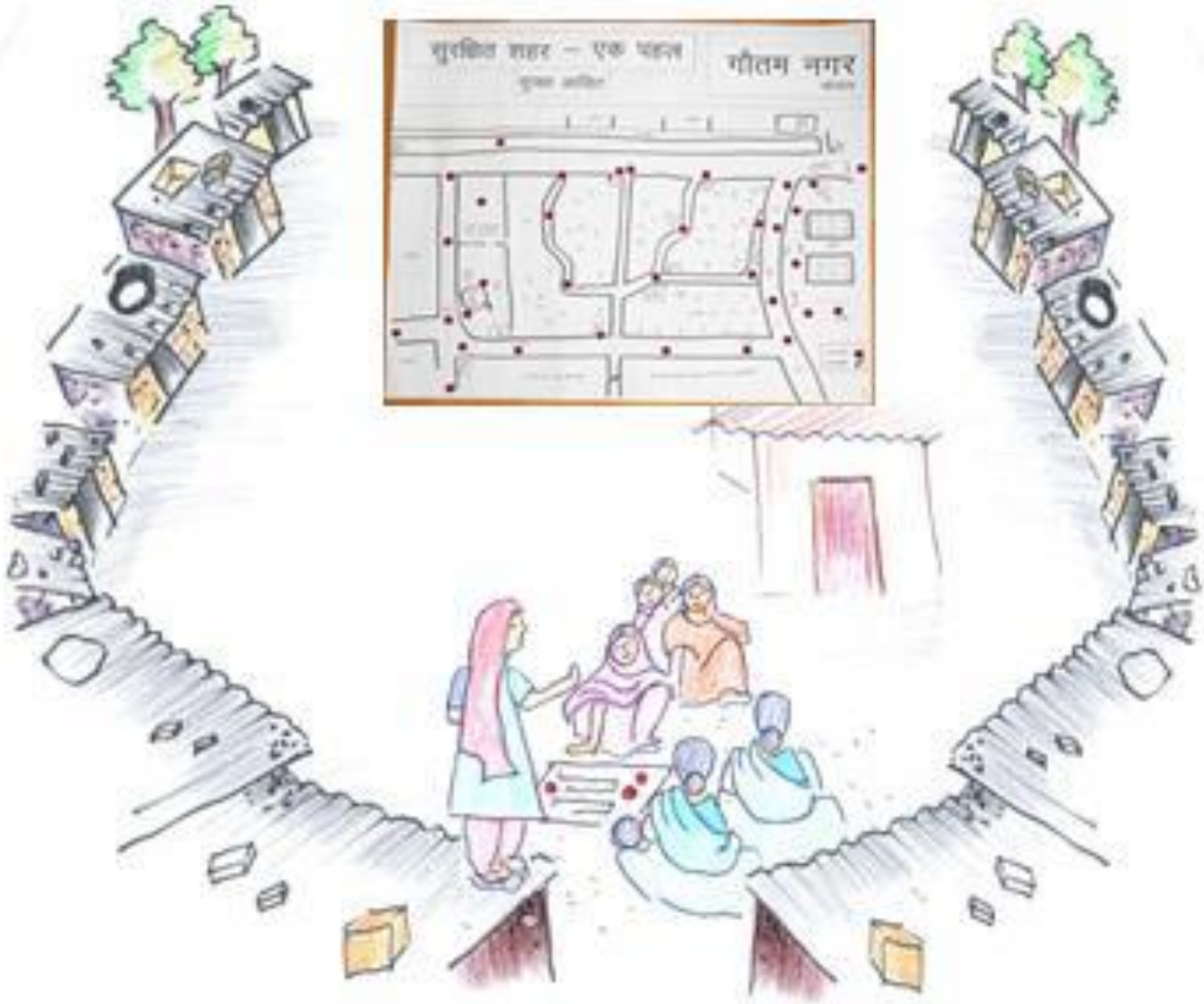

सुरक्षा ऑडिट के दिशा निर्देश

विषय वस्तु

पृष्ठभूमि

सेफ्टी ऑडिट क्या है?

1. **फील्ड स्टाफ का उन्मुखीकरण (ओरिएंटेशन)**
2. **स्वयं सहायता समूह एवं सेवा प्रदाता संस्थाओं के साथ फोकस ग्रुप डिस्कशन (FGD)**
3. **सुक्ष्म नियोजन- बस्ती का नक्षा बनाना एवं पैदल अनुवेषण करना**
4. **समुदाय स्तर पर एक्शन प्लान का निर्माण करना**
5. **पार्षद / MIC सदस्यों के साथ एक्शन प्लान पर चर्चा करना**
6. **इंटरफ़ेस बैठक में एक्शन प्लान पर चर्चा**
7. **सेफ्टी ऑडिट द्वारा प्राप्त रिपोर्ट/सामग्री की सूचि**

संलग्नक

1. **सैंपल नक्षा**
2. **सैंपल ज्ञापन पत्र**

पृष्ठभूमि

सुरक्षित शहर की ओर एक पहल के अंतर्गत क्रियान्वित इंटरवेंशन -२ के माध्यम से स्वयं सहायता समूह सदस्यों का प्रशिक्षण, सामुदायिक उत्प्रेरणा एवं सामुदायिक सेफ्टी ऑडिट के द्वारा क्षमता वृद्धि करना है जिससे उनकी समझ विकसित हो सके. सामुदायिक सेफ्टी ऑडिट चयनित 21 बस्तियों में आयोजित किया जायेगा जहाँ पर इंटरवेंशन-२ क्रियान्वित किया जा रहा है. यह समुदाय को जोड़ने वाली प्रथम विषय आधारित गतिविधि है, इसका मुख्य उद्देश्य स्वयं सहायता समूह के सदस्यों को महिलाओं के प्रति हिंसा के विरुद्ध मुद्दों पर विचार करना शुरू करें एवं इनकी रोकथाम हेतु कार्ययोजना बनायें.

सेफ्टी ऑडिट क्या है?

सेफ्टी ऑडिट को परिभाषित किया जाता है - "यह एक ऐसी प्रक्रिया है की जो लोग समुदाय में असहाय महसूस करते हैं उनकी स्थिति में परिवर्तन लाना और उनके लिए उचित वातावरण का निर्माण करके हिंसा में कमी लाना है."

सेफ्टी ऑडिट निम्न सैधांतिक बिन्दुओं पर आयोजित किये जाते हैं:-

- ऑडिट वाले क्षेत्र का उपयोग करने वाले सभी लोगों को विशेषज्ञ मानकर सभी को चर्चा में शामिल किया जाए.
- जब वह क्षेत्र वहां के सबसे वंचित लोगों (जैसे महिलाएं, बुजुर्ग, विकलांग अथवा बच्चों) के लिए सुरक्षित हो जायेगा तो सभी के लिए सुरक्षित हो जायेगा.

भारत में अन्य जगहों पर सेफ्टी ऑडिट दिल्ली में " जागोरी" एवं "Women in Cities International" के द्वारा किया जा चुका है. यहाँ सेफ्टी ऑडिट करने का तरीका जागोरी की हैंडबुक *'A handbook on women's safety audits in low income urban neighborhoods: a focus on essential services'* से लिया गया है. तरीके निम्नानुसार वर्णित हैं:-

1. फील्ड स्टाफ का ओरिएंटेशन
2. स्वयं सहायता समूह एवं सेवा प्रदाता संस्थाओं के साथ फोकस ग्रुप डिस्कशन (FGD)
3. सुक्ष्म नियोजन- बस्ती का नक्षा बनाना एवं पैदल अनुवेषण करना
4. समुदाय स्तर पर एक्शन प्लान का निर्माण करना
5. पार्षद / MIC सदस्यों के साथ एक्शन प्लान पर चर्चा करना
6. इंटरफ़ेस बैठक में एक्शन प्लान पर चर्चा

उपरोक्त चरणों के बाद भी यह प्रक्रिया यहीं तक सीमित नहीं रहेगी. लगातार अनुसरण के द्वारा यह भी सुनिश्चित किया जायेगा की जो एक्शन प्लान का निर्माण हुआ है उससे महिलाएं लाभान्वित हो सकें.

1. **फील्ड स्टाफ का उन्मुखीकरण (ओरिएंटेशन)**

   जागोरी एवं इस मार्गदर्शिका के माध्यम से सिटी सपोर्ट एजेंसी के कार्यकर्ताओं का उन्मुखीकरण.

2. **स्वयं सहायता समूह एवं सेवा प्रदाता संस्थाओं के साथ फोकस ग्रुप डिस्कशन (FGD)**

   a. 21 बस्ती के चयनित स्वयं सहायता समूह एवं बस्ती स्तर पर कार्य कर रही सेवा प्रदाता संस्थाओं जैसे (आंगनवाडी कार्यकर्ता, स्कूल टीचर आदि) के साथ फोकस ग्रुप डिस्कशन (FGD) किया जाएगा.

   b. फोकस ग्रुप डिस्कशन का उद्देश्य निम्न मुद्दों पर समझ बनाना है:-

      I. सुरक्षा एवं निर्भयता
      II. हिंसा होने की आशंका
      III. सुरक्षा एवं निर्भयता मुद्दों से सम्बंधित आवश्यक सेवाओं की उपलब्धता
      IV. विभिन्न सेवाओं के लिए जिम्मेदार संस्थाओं और स्थानीय प्रशासन पर समुदाय के सदस्यों की समझ को बनाना

      यह फोकस ग्रुप डिस्कशनस अगले चरण में सुक्ष्म नियोजन के लिए आधार होंगे. फोकस ग्रुप डिस्कशन सहायक होगा उन क्षेत्रों को चिन्हित करने में जहाँ महिलाएं विभिन्न प्रकार की हिंसा का सामना करती हैं एवं सेफ्टी ऑडिट वाक में उन रास्तों को शामिल किया जाएगा.

   c. स्वयं सहायता समूह के सदस्य बस्ती के युवा समूह और समुदाय के पुरुष सदस्यों को शामिल कर सकते हैं.

   d. FGD निम्नांकित बिन्दुओं को ध्यान में रखते हुए शुरू किया जायेगा:-

      - परियोजना का परिचय
      - प्रतिभागियों का परिचय
      - “महिला सुरक्षा” क्या है इसे विस्तार से समझाना (कृपया जागोरी हैंडबुक के पृष्ट क्र.04 पर ‘Defining Women’s Safety’ देखें)
      - इस गतिविधि का उद्देश्य विभिन्न अनुभवों को एकत्रित करना, उनके दृष्टिकोण को समझना एवं महिलाएं जिन समस्याओं का सामने करती हैं उनको समझना एवं पहचान करना विशेषतया ऐसे करक जो उन्हें असुरक्षा का अनुभव कराते हैं.

- इस गतिविधि का मुख्य उद्देश्य घर के बाहर महिलाएं जिस प्रकार की हिंसा का सामना करती हैं उस पर केन्द्रित है. घरेलु हिंसा से सम्बंधित मुद्दों को आने वाले सत्रों में शामिल किया जाएगा.

e. यह चर्चा निम्न बॉक्स में दर्शाए गए मुद्दों पर आधारित होगी:-

<u>फोकस ग्रुप डिस्कशन में चर्चा किये जाने वाले मुद्दों की चेकलिस्ट</u>

1. समुदाय में आवश्यक सेवाओं की उपलब्धता की स्थिति पर चर्चा, सम्मलित करें:-
    - सड़कें
    - विधुत आपूर्ति
    - स्वछता, कचरे का निष्कासन
    - शौचालय की सुविधा
    - जलापूर्ति
    - लोक परिवहन
2. उपयुक्त सेवाओं का उपयोग करते समय महिलाओं/ लड़कियों ने किसी भी प्रकार की हिंसा या भय का सामना किया है पर चर्चा. महिलाओं/ लड़कियों के साथ हिंसा की घटनाओ के बारे में जानना एवं उनके प्रभावों पर चर्चा करना. इस प्रकार की हिंसा से बचने के लिए उनके द्वारा क्या रणनीति अपनाई जाती है.
3. अन्य ऐसे मुद्दे जहाँ महिलाओं/ लड़कियों को अपनी सुरक्षा से समझौता करना पड़ता है (जैसे बस्ती में शराब की दूकान, पुरषों का जमावड़ा एवं वह स्थान जहाँ पुरुष जुआ खेलते हैं,क्या बस्ती के बहार के लोग लड़कियों के लिए भय का कारण हैं, आदि). यहाँ भी महिलाओं/ लड़कियों के साथ हिंसा की घटनाओ के बारे में जानना एवं उनके प्रभावों पर चर्चा करना. इस प्रकार की हिंसा से बचने के लिए उनके द्वारा क्या रणनीति अपनाई जाती है.
4. समुदाय के सर्वाधिक वंचित सदस्यों के द्वारा किसी विशेष समस्याओं का सामना किया जा रहा है उसपर चर्चा करना जैसे एकल महिलाओं, गर्भवती महिलाएं एवं पिछड़े हुए समुदाय की महिलायें.
5. प्रतिभागियों से चर्चा करना की क्या उन्होंने कभी शासन/ संस्था को शिकायत दर्ज की है? विशेषतः ऐसे मुद्दे जो महिलाओं / लड़कियों की सुरक्षा से सम्बंधित हैं? और यदि किया है तो किसे और किस माध्यम से?
6. चर्चा करें की शासन/ संस्था का क्या रवैय्या था जहाँ शिकायत की गयी थी, और किस स्तर तक समस्या का निराकरण किया गया.
7. पता करें की क्या महिलाओं / लड़कियों की सुरक्षा में सुधार लाने के लिए समुदाय स्तर पर क्या कार्यवाही की गयी?

f. फोकस ग्रुप डिस्कशन का समय 90-120 मिनट का होना चाहिए.

g. यह चर्चा रिकॉर्ड की जा सकती है या किसी एक व्यक्ति के द्वारा लिखी जा सकती है.

h. प्रत्येक फोकस ग्रुप डिस्कशन की एक संछिप्त रिपोर्ट (2-4 पेज की) अवश्य तैयार करनी है,जिसमे चेकलिस्ट में दिए गए प्रत्येक प्रश्न से सम्बंधित जानकारी को सम्मलित करें. यदि किन्ही प्रश्नों के उत्तर नहीं दिया गया है तो उनके कारणों को अवश्य लिखा जाना चाहिए.

3. सुक्ष्म नियोजन- बस्ती का नक्षा बनाना एवं पैदल अनुवेषण करना

a. फोकस ग्रुप डिस्कशन करने के पश्च्यात एक मीटिंग स्वयं सहायता समूह के सदस्यों के साथ आयोजित की जाएगी. जिसमे :-

   I. बस्ती का नक्शा तैयार किया जायेगा, एवं

   II. चयनित क्षेत्रों का भ्रमण करेंगे जिसमे उन मुद्दों की पहचान करना जो किसी स्थान को महिलाओं / लड़कियों के लिए असुरक्षित बनाते हैं.

b. इस प्रक्रिया के चरण में महिलाओं / लड़कियों के प्रताड़ना सम्बन्धी उन कारणों का पता लगाना जो आसानी से दिखाई नहीं देते. ऐसे मुद्दे जो महिलाओं की सुरक्षा को प्रभावित करते हैं उनपर स्थानीय प्रशासन से बातचीत को सहज बनाना दूसरी ओर एक्शन प्लान बनाने में महिलाओं की सहायता करना जो महिला सुरक्षा को बेहतर बनाये.

c. बैठक की शुरुआत अँधेरा होने से थोड़ा पहले शाम को की जानी चाहिए जिसमे प्रतिभागी एक बार अँधेरा होने के पहले निर्धारित मार्ग का निरक्षण पैदल कर सकें. अँधेरा होने के पश्च्यात स्ट्रीट लाइट चालू होने पर दोबारा निरक्षण करेंगे एवं उन स्थानों को देखेंगे जो महिला एवं पुरुष दोनों के द्वारा ही उपयोग किये जाते हैं. लेकिन अँधेरा होने के बाद दोनों की उपयोगिता की असमानता को चिन्हित करेंगे.

d. बैठक की शुरुआत उपरोक्त दर्शाए गए उद्देश्यों को समझाते हुए की जानी चाहिए. प्रतिभागियों को यह भी सूचित किया जाना चाहिए की इस प्रक्रिया के द्वारा चिन्हित मुद्दों के निराकरण के लिए एक्शन प्लान बनाने हेतु एक बैठक का आयोजन किया जाएगा.

e. प्रतिभागियों को एक चार्ट पेपर नक्शा बनाने के लिए उपलब्ध कराया जाएगा और उसमे निम्न बिन्दुओं को दर्शाने हेतु कहा जायेगा:-

   i. सड़क

   ii. रहवासी / गैर रहवासी क्षेत्र

   iii. आवश्यक सेवा प्रदत स्थल (जैसे शौचालय, सार्वजनिक जल प्रदाय स्थल)

iv. बस्ती से बहार जाने वाली सड़कें (वह सड़कें जो समुदाय के लोग कार्यस्थल या स्कूल/कॉलेज जाने हेतु उपयोग करते हैं)
v. अन्य सामुदायिक स्थल (जैसे मंदिर, सभा स्थल)
vi. वह स्थान जहाँ महिलाएं असुरक्षा का अनुभव करती हैं (जैसे शराब की दूकान या पान की दुकान के सामने जहाँ पुरुष झुण्ड के रूप में खड़े होते हैं).

नक़्शे का सैंपल संलग्नक -1 पर दिया गया है.

f. प्रतिभागियों को ऑडिट का मार्ग चिन्हित करने में सहयोग करना.
g. आवश्यक होने पर प्रतिभागियों को तय मार्ग का पूर्ण निरिक्षण करने हेतु उन्हें आपस में समूह में बांटा भी जा सकता है.
h. नियुक्त 1-2 व्यक्ति चेकलिस्ट भरने की जिम्मेदारी लेंगे और अन्य कोई एक फोटो लेंगे.
i. प्रतिभागियों को समझायेंगे की भ्रमण के दौरान निम्न बातों को ध्यान में रखें:-
    i. स्थान का क्या उपयोग हो रहा है?
    ii. कौन उस स्थान का उपयोग कर रहे हैं?
    iii. क्या उस स्थान का उपयोग विविध समय पर विभिन्न कार्यों के लिए किया जाता है?
    iv. उपलब्ध सुविधाएँ ?
    v. क्या पास में कोई पुलिस वैन या पुलिस चौकी है?
    vi. सुरक्षा गार्ड
j. प्रतिभागी जिस आधार पर स्थान को सुरक्षित मानते हैं उसमे निम्न बातो का समावेश होना आवश्यक है:-
    i. आप कब उस स्थान पर असहजता का अनुभव करते हैं?
    ii. आप को उस स्थान पर किसी भी प्रकार का नकारात्मक अनुभव हुआ है क्या?
    iii. यदि आप सहायता के लिए किसी को पुकारते हैं तो कोई सुन सकता है क्या?
    iv. यदि आप मुश्किल या परेशानी में होंगे तो उस समय लोग आपकी मदद करेंगे क्या?

k. निम्न चेकलिस्ट कैसे भरी जानी है इससे विस्तार से बताएं.

सेफ्टी ऑडिट हेतु जाँच सूचि (चेकलिस्ट)

a. बस्ती का नाम:
b. दिनांक:
c. मार्ग जिसका ऑडिट किया:
d. ऑडिट का समय एवं दिनांक :
e. मौसम:
f. अवधी:
g. प्रतिभागियों का नाम:

विषय		√	X	टिप्पणी
महिलाओं द्वारा उपयोग किये जाने वाले मार्ग				
प्रकाश व्यवस्था	क्या स्ट्रीट लाइट हैं ?			
	क्या स्ट्रीट लाइट चालू हैं?			
	क्या स्ट्रीट लाइट निश्चित दूरी पर हैं?			
	अन्य कोई टिप्पणी?			
सड़कों की स्थिति	क्या सड़कें अच्छी स्तिथि में हैं?			
	क्या उनपर आसानी से तेज चला जा सकता है?			
	क्या महिलाएं इन सड़कों पर बैसाखी, व्हील चेयर या विकलांगता होने पर भी आसानी से आ जा सकती हैं?			
	अन्य कोई टिप्पणी?			
अनुपयोगी एवं खतरे वाले स्थान	क्या कोई खाली जगह है ?			
	क्या यहाँ कोई खाली अथवा टूटी/अनुपयोगी ईमारत है?			
	क्या इनसे महिलाओं की सुरक्षा पर कोई खतरा है?			
	अन्य कोई टिप्पणी?			

विषय		√	X	टिप्पणी
समाज के द्वारा उपयोग किये जाने वाले स्थान	क्या सड़कों पर लोग होते हैं?			
	क्या सड़कों पर महिलाओं की अपेक्षा पुरुष ज्यादा होते हैं?			
	वे क्या करते हैं?	N	A	
	क्या सड़कों पर बाजार/ दुकाने हैं?			
	क्या कोई शराब की दुकान है?			
	क्या कोई पान/ सिगरेट की दुकान है?			
	अन्य कोई टिप्पणी?			
पुलिस द्वारा निगरानी	क्या यहाँ पुलिस द्वारा निगरानी होती है?			
	अन्य कोई टिप्पणी?			
अनौपचारिक निगरानी व्यवस्था	यदि महिला प्रताड़ित की जा रही है तो आस पास या इमारतों में रहने वाले लोगों के द्वारा देखि जा सकती है?			
	क्या आप सोचते हैं की यदि महिला प्रताड़ित हो रही है तो लोग (रहवासी, पड़ोसी एवं आने जाने वाले लोग) उसकी मदद करेंगे?			
	अन्य कोई टिप्पणी?			

विषय		√	X	टिप्पणी
पहुँच मार्ग	क्या पहुँच मार्ग अच्छी स्तिथि में है?			
	क्या पहुँच मार्ग पर पर्याप्त प्रकाश व्यवस्था है?			
	क्या यहाँ भीड़ होती है?			
	क्या बस स्टॉप यहाँ से नज़दीक है?			
	क्या बस स्टॉप यहाँ से नज़दीक है? क्या वह खाली रहता है?			
	क्या पहुँच मार्ग पर कोई दुकाने हैं?			
	क्या उनमे भीड़ होती है, क्या वे खली रहती हैं?			
	अन्य कोई टिप्पणी?			
सुविधाएँ				
शौचालय	क्या शौचालय अच्छी स्थिति में है? (उदाहरण:- क्या कोई सीढ़ी अथवा खिड़की टूटी हुई है?			
	क्या वहां कोई चौकीदार है ?			
	क्या शौचालय के बहार पुरुष खड़े रहते हैं?			
	क्या लाइट की पर्याप्त व्यवस्था है?			
	क्या शौचालय का प्रयोग करते समय महिलाओं की निजिता कायम रहती है?			
	क्या महिला शौचालय का उपयोग पुरुष भी करते हैं?			
	अन्य कोई टिप्पणी?			

विषय		√	X	टिप्पणी
जलापूर्ति क्षेत्र	क्या पानी को भरना एक शांतिपूर्ण एवं व्यवस्थित प्रक्रिया है?			
	क्या पानी भरने के स्थान पर लड़ाई झगडे या आपसी बहस होती है?			
	क्या लाइट की पर्याप्त व्यवस्था है?			
	क्या पानी भरने के स्थान पर पुरुषों का झुण्ड होता है, जिससे महिलाएं असुरक्षित महसूस करती हैं?			
	अन्य कोई टिप्पणी?			
स्वछता	क्या कचरे का निष्पादन नियमित रूप से किया जा रहा है?			
	क्या सड़कों पर फैले हुए कचरे के कारण महिलाओं के आवागमन में व्यवधान उत्पन्न होता है?			
	क्या सभी नालियों का रखरखाव अच्छा है जिससे आना जाना आसान है?			
	अन्य कोई टिप्पणी?			
अन्य सामुदायिक स्थल				
खुले स्थान पर शौच	क्या महिलाएं शौच के लिए खुले स्थान जैसे नाला या मैदान का आसानी से उपयोग कर सकती हैं? (उदाहरण:- जैसे खुले में शौच का स्थान दूर होना या उन रास्तों से जाना जिनपर पुरुषों की उपस्थिति ज्यादा होती है)			
	क्या आप सोचते हैं की इन स्थानों का उपयोग सुरक्षित है?			
	अन्य कोई टिप्पणी?			

विषय		√	X	टिप्पणी
सामूहिक स्थान (उदाहरण :- मंदिर, चबूतरे, चौराहे अथवा अन्य सामान्य बैठक स्थान)	**क्या ऐसे सामूहिक स्थान चिन्हित किये गए हैं?**			
	क्या उन स्थानों में पुरुष होते हैं?			
	क्या ऐसे स्थानों पर पुरुष शराब पीते अथवा जुआ खेलते हैं?			
	क्या इन स्थानों पर कोई महिलाए भी होती हैं?			
	अन्य कोई टिप्पणी?			
क्या कोई अन्य स्थान चिन्हित किया गया? (स्कूल इत्यादि)*				

*** स्कूल के सम्बन्ध में हम यह देखेंगे की उसके आस पास का क्षेत्र सुरक्षित है? क्या लड़के और लड़कियों के लिए अलग अलग शौचालय की व्यवस्था है? यदि है तो क्या ये लड़कियों के लिए सुरक्षित है? (शौचालय की कुण्डी/ ताले/ खिड़की दरवाज़े/) क्या लड़कियों को पर्याप्त निजिता प्रदान की जाती है?**

h. प्रतिभागी चेकलिस्ट में दर्शाए गए प्रश्नों व स्थान के विषय में उपस्थित लोगों से चर्चा कर सकते हैं की उस स्थान पर महिलाएं स्वयं को सुरक्षित महसूस करती हैं या उन्होंने महिला प्रताड़ना से सम्बंधित किसी घटना के बारे में सुना है.

i. बैठक स्थल में वापस आकर चेकलिस्ट का उपयोग करते हुए उन क्षेत्रों को लाल रंग से नक़्शे में चिन्हित करें जहाँ प्रतिभागियों ने असुरक्षा का अनुभव किया है.

j. वापस आकर सुनिश्चित करेंगे की चेकलिस्ट भरते समय सभी निरिक्षण इसमें नोट कर लिए गए हैं, और क्या यह पूर्ण है.

k. महत्त्वपूर्ण मुद्दों को चिन्हित करना है और भविष्य में कार्ययोजना बनाते समय इन पर चर्चा भी करनी है.

l. तैयार नक़्शे को फ्लेक्स शीट पर निम्न बिन्दुओं को ध्यान में रखते हुए प्रिंट करना है:-
    i. फ्लेक्स शीट का आकर 5/3 फीट से कम नहीं होना चाहिए.
    ii. फ्लेक्स शीट रंगीन होने चाहिए, ब्लैक एंड वाइट नहीं होना चाहिए.
    iii. यदि आवशयकता होगी तो शीट की एक अतिरिक्त कॉपी भी प्रिंट की जा सकती है जिसे सिटी सपोर्ट एजेंसी के कार्यालय में रखा जा सकता है.

iv. प्रत्येक शीट पर **"MPUIIP परियोजना उत्थान"** लिखा होना चाहिए और नगर निगम एवं MPUIIP को लोगो होना चाहिए.

4. समुदाय स्तर पर एक्शन प्लान का निर्माण करना

a. फॉलो-उप बैठक आयोजित कर उसमे महत्त्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा कर एक्शन प्लान बनायें. यह बैठक अतिशीघ्र आयोजित की जाये (संभवता अगले ही दिन) जिससे पूर्व में आयोजित बैठक की गति को कायम रखा जा सके.
b. पूर्व मीटिंग के मुद्दों पर चर्चा करेंगे विशेषतः वह मुद्दे जो बस्ती भ्रमण के दौरान चिन्हित किये गए थे.
c. प्रतिभागियों के साथ प्रत्येक मुद्दों पर चर्चा करना जिससे महिलाओं की सुरक्षा में सुधार लाने हेतु इन मुद्दों पर ध्यान दिया जा सके.
d. निम्नलिखित प्रपत्र में सभी सुझावों एवं मुद्दों के निराकरण हेतु उठाये जाने वाले कदम को चार्ट पेपर में नोट किया जाना चाहिए:-

समस्या	**क्या किया जा सकता है**	**व्यक्ति/जिम्मेदार- संस्थाएं/ शासन/ सेवा प्रदाता**

e. ज्ञापन तैयार कर उसे पार्षद, MIC के सदस्यों को सौंपें जिसमे बस्ती में महिलाओं की सुरक्षा को बेहतर बनाने हेतु विशेष कार्य किये जाएँ.
f. प्रतिभागियों को सूचित करें की एक इंटरफ़ेस बैठक आयोजित की जायेगी जिसमे विभिन्न सेवा प्रदाताओं को भी आमंत्रित किया जाएगा इससमे महिलाओं के विरुद्ध हिंसा से संभंधित मुद्दों पर चर्चा की जाएगी.
g. तैयार एक्शन प्लान एवं नक़्शे को स्वयं सहायता समूह के बैठक स्थल पर लगायें.

5. पार्षद / MIC सदस्यों के साथ एक्शन प्लान पर चर्चा करना

a. पार्षद/ MIC सदस्यों से मिलने का समय निर्धारित करें.
b. पार्षद/ MIC सदस्यों से मिलने हेतु महिलाओं की पहचान करें.
c. बैठक में ज्ञापन पत्र की प्रति लेकर पार्षद/ MIC सदस्यों से मिलने जाएँ.

d. बैठक में मुद्दों पर चर्चा करें एवं ज्ञापन पत्र सौंपें.
e. पार्षद/ MIC सदस्यों की प्रतिक्रिया/कथन का नोट बनायें.
f. बैठक के उपरांत पार्षद को धन्यवाद् पत्र प्रेषित करें जिसमे उनके द्वारा दिए गए समय एवं प्रतिबधता का उल्लेख करें.

6. इंटरफ़ेस बैठक में एक्शन प्लान पर चर्चा

a. इंटरफ़ेस बैठक के पूर्व एक्शन प्लान का अवलोकन करें एवं देखें की आने वाले प्रतिनिधि इस संदर्भ में क्या कार्यवाही कर सकते हैं.
b. बैठक में आने वाले प्रतिनिधि के लिए ज्ञापन पत्र तैयार करें.
c. यह सुनिश्चित करें की बैठक स्थल पर नक्शा एवं एक्शन प्लान प्रदर्शित किया गया है.

7. सेफ्टी ऑडिट द्वारा प्राप्त रिपोर्ट/सामग्री की सूचि

a. फोकस ग्रुप डिस्कशन की रिपोर्ट
b. बस्ती का नक्शा
c. सेफ्टी वाक की चेकलिस्ट
d. सेफ्टी वाक के दौरान ली गयी फोटो
e. योजना बैठक के दौरान बनाया गया ज्ञापन पत्र

संलग्नक-1

सैंपल नक्षा क्र-1

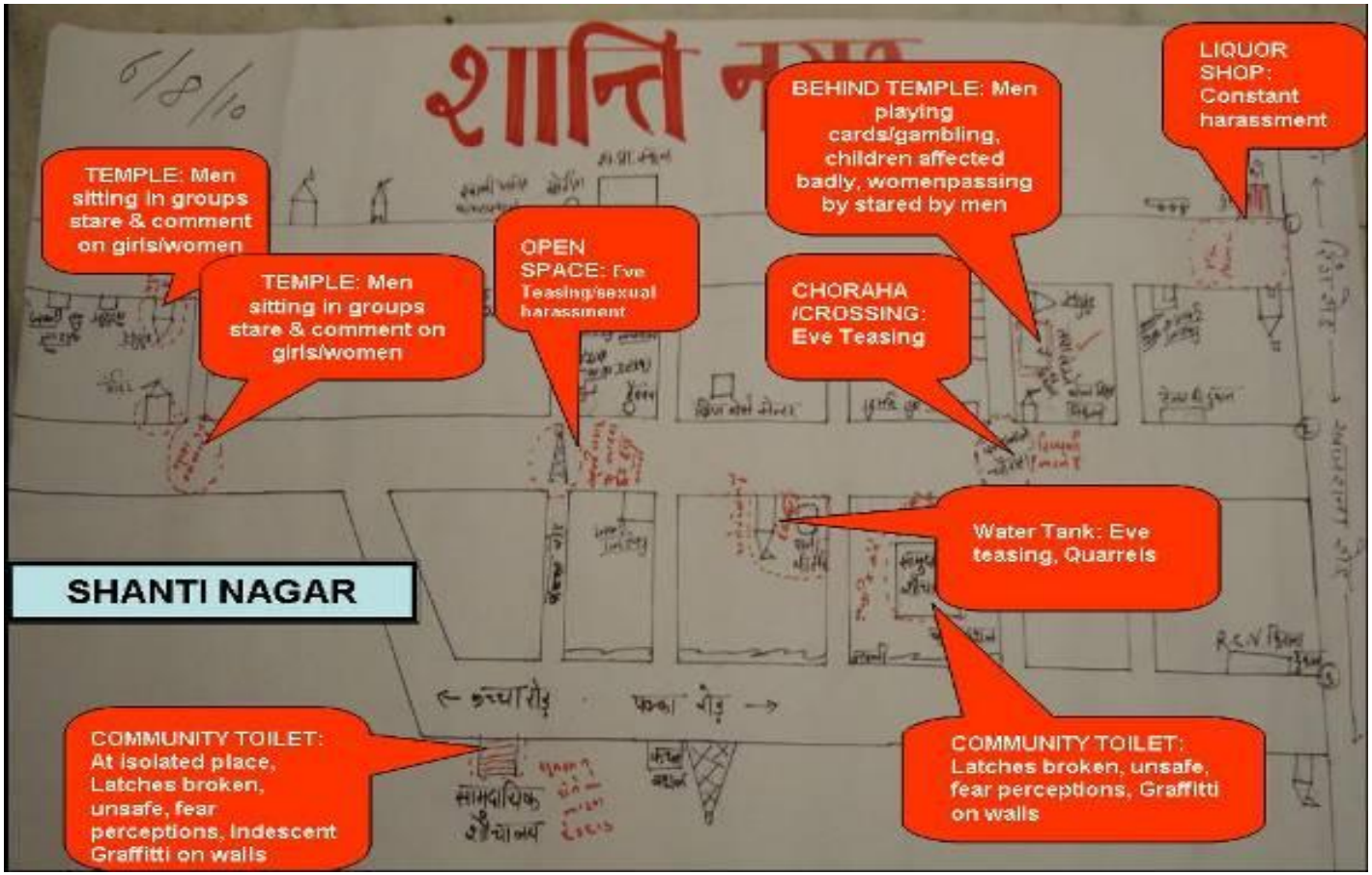

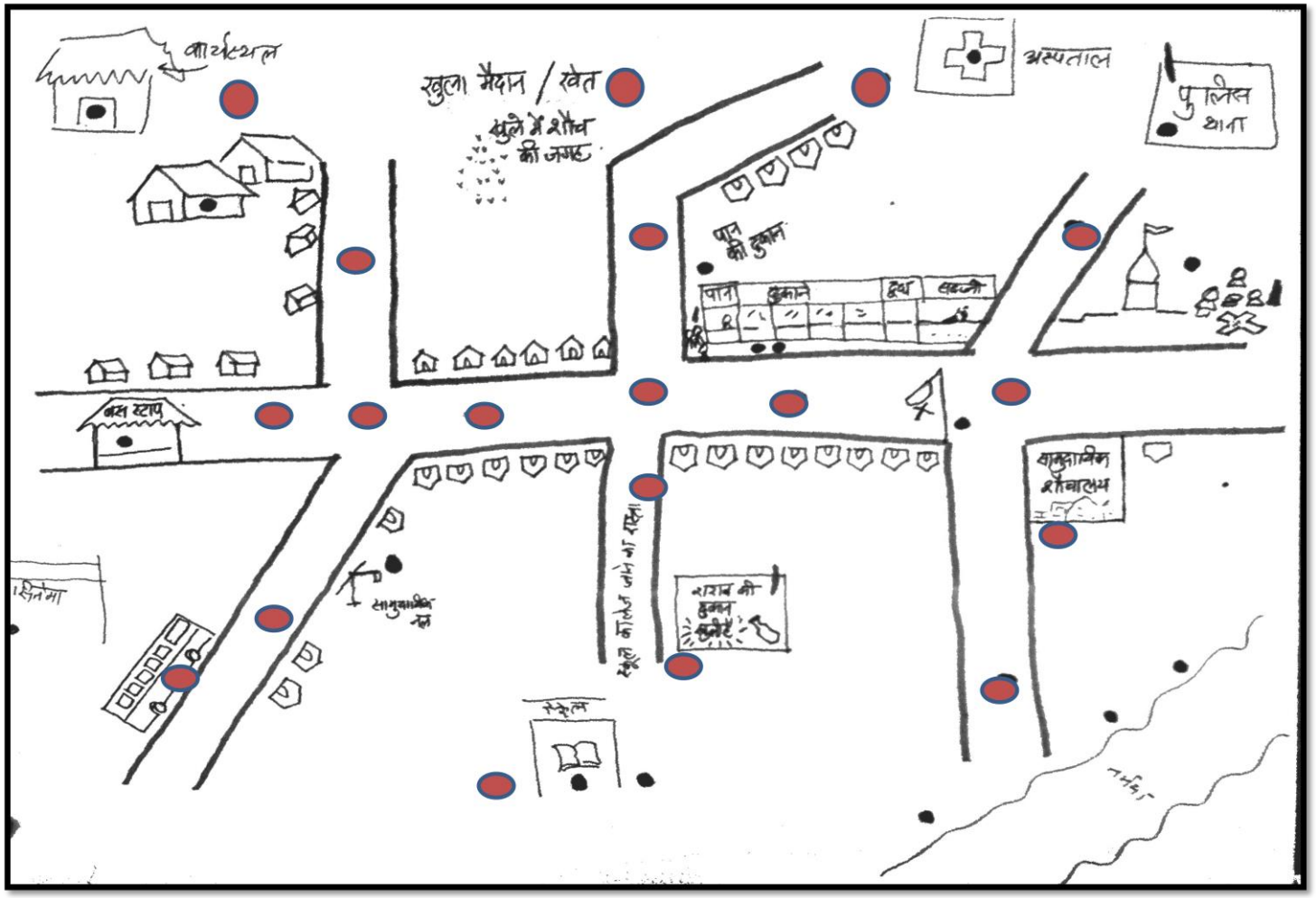

कार्यस्थल
खुला मैदान / खेत
खुले में शौच की जगह
अस्पताल
पुलिस थाना
पान की दुकान
पान
दुकानें
दूध
सब्जी
बस स्टाप
सिनेमा
सामुदायिक नल
सामुदायिक शौचालय
स्कूल
नर्मदा

संलग्नक-2

सैंपल ज्ञापन पत्र